कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय –दूरभाष (07856) 252228, फैक्स–252305 निवास –(07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/ मा.चि./1618 **दन्तेवाड़ा, दिनांक 06 /03/2024**

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 Proposed for " LIC Building Dantewada" area – 0.262 Ha. Compartment No. P 1373. पंजीयन क्रमांक – FP/CG/Other/36479/2018**

संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्रमांक/व.त.अ./4002, दिनांक 14.07.2022

2. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दन्तेवाड़ा का पत्र दिनांक 06.03.2024

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र – 1 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में 06 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र – 2 के तहत् 06 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी बिन्दुवार तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः चाही गई जानकारी आपके अवलोकनार्थ सम्प्रेषित हैः–

क्रमांक	कंडिका	विवरण
1	फार्म ए पार्ट –1 के बिंदु क्रमांक C(maps of forest land proposed to be diverted) अपलोड के.एम.एल. फाईल मे खसरा क्रमांक – 291 उल्लेख कर अपलोड किया गया है। जो वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण अनुसार नही है। सुधार आवश्यक है। C(ii) b(1): Upload kml as attribute मे विवरण, जैसे – RF/PF along with compartment no. and area in ha. revenue forest land along with khasra no. and area in ha. आदि जानकारी के साथ अपलोड करें।	फार्म ए पार्ट –1 के बिंदु क्रमांक C(maps of forest land proposed to be diverted) अपलोड के.एम.एल. फाईल मे खसरा क्रमांक – 291 उल्लेख कर अपलोड किया गया था। जिसे डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट मे सुधार कर प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी 1373 का के.एम.एल. अपलोड किया गया है।
2	वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसर अपलोड के.एम.एल. फाईल, टोपोशीट, Geo-reference map एवं फार्म ए पार्ट–1 मे समस्त पी.डी.एफ. फाईल अपडेट सुधार अनुसार अपलोड करें।	के.एम.एल. फाईल, टोपोशीट, Geo-reference map एवं फार्म ए पार्ट–1 मे समस्त पी.डी.एफ. फाईल अपडेट/सुधार अनुसार अपलोड किया गया है।
3	Form A part-1 में colum no. K status of settlement of rights under the forest rights Acts 2006 on the forest land proposed "(i) Whether the process for settlement of rights under the forest rights acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? :	वन अधिकार पत्र संबंधी कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र उक्त कॉलम पर अपलोड किया गया है।

	no" तत्संबंध मे यदि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर अपलोड करें।	
4	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमाकं – 48 पैरा 26(i) के अनुसार 10 वर्षीय रखरखाव योजना तैयार कर संलग्न नही किया गया है एवं उनके द्वारा कंडिका क्रमांक – 16 एवं 17 मे क्षतिपूर्ति योजना आवश्यक नही है लेख किया गया है। अतः 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्ताव मे संलग्न करें।	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/FC-11/50/2020-FC Date 21.08.2023 के द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार प्रत्यावर्तित क्षेत्र 1.00 हें. से कम होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है।
5	वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित (वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार) डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करें एवं संलग्न सी.डी. मे सही डाटा सुधार करें। (KML, Shp. Toposheet, Geo-Referance Map) आदि।	डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं सी.डी. मे सही डाटा सुधार किया गया है।
6	चूँकि यह एक Non Specific Project है अतः कलेक्टर का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य हेतु कोई गैर वनभूमि उपलब्ध नही है।	गैर वनभूमि उपलब्ध नही होने संबंधी कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्त त्रुटियों को सुधार कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव (01 से 44 कंडिका) पुनः तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (03 प्रतियों मे)

वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/**03/2024**

पृ. क्रमांक/मा.चि./1619
प्रतिलिपि :– शाखा प्रवंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा